भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

23.07.2015 को राज्य सभा में

पूछा जाने वाला अतारांकित प्रश्न संख्या : 329

परमाणु वैज्ञानिक की रहस्यमय मौत

329. श्री हरिवंश:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विगत पाँच वर्षों में कितने परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हुई है;

(ख) वैज्ञानिकों को परमाणु विकिरण से बचने के लिए किस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराई गई है; और

(ग) परमाणु संयंत्रों में प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न होने पर उससे निबटने की सरकार के पास क्या योजना है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह):

(क) 01.01.2010 से 15.07.2015 तक की अवधि के दौरान, मुख्य रूप से सड़क दुर्घटना एवं आत्महत्या से संबंधित अस्वाभाविक परिस्थितियों में मरने वाले नाभिकीय वैज्ञानिकों की संख्या 12 है।

(ख) नाभिकीय सुविधाओं के अभिकल्पन, निर्माण एवं प्रचालन के दौरान, नाभिकीय सुविधाओं में व्यावसायिक कार्मिकों की सुरक्षा को, सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक माना जाता है। संयंत्रों का डिज़ायन, अभियंत्रित संरक्षा विशेषताओं एवं प्रशासनिक नियंत्रणों के साथ तैयार किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि, संयंत्र में कार्य करने वाले व्यक्ति विकिरणात्मक दृष्टि से सुरक्षित है। परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद (एईआरबी) द्वारा निर्धारित संरक्षा मानकों का अनुपालन, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सतर्कतापूर्वक किया जा रहा है। परिवेशी विकिरण स्तरों, वायु में विकिरणसक्रियता एवं संदूषण स्तरों का मॉनीटरन, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद द्वारा नियुक्त विकिरणात्मक संरक्षा अधिकारी (आरएसओ) की निगरानी में नियमित रूप से किया जाता है। विकिरणात्मक संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयंत्र के कार्मिकों को आवश्यक संरक्षी उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विकिरण उद्भासन विहित सीमा से नीचे रहे एक कार्मिक मात्रामिति कार्यक्रम लाया गया है ।

(ग) भारत में नाभिकीय सुविधाओं का अभिकल्पन, निर्माण, कमीशनन एवं प्रचालन, संबद्ध नाभिकीय संरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाता हैं। इन आवश्यकताओं से अत्यधिक संरक्षा सुनिश्चित होती है ताकि,नाभिकीय सुविधाओं का प्रचालन, संयंत्र के कार्मिकों एवं जनता को होने वाले किसी भी प्रकार के जोखिमों के बिना किया जा सके। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों तथा विनियमनों के अनुसार अत्यधिक सर्तकता के उपाय के रूप में, और किसी संभावित घटना का प्रबंधन प्रभावी रूप से करने के लिए, आपातस्थिति से निपटने की तैयारी व अनुक्रिया (ईपीआर) योजनाएं तैयार की जाती हैं। आपातस्थिति से निपटने की तैयारी व अनुक्रिया की क्षमता की जाँच, नियमित रूप से आपातस्थिति से निपटने संबंधी अभ्यास करवाकर की जाती है। भारत सरकार ने, नाभिकीय एवं विकिरणकीय आपातस्थितियों सहित, सभी आपदाओं की रोकथाम करने एवं उन्हें कम करने के लिए 'आपदा प्रबंधन अधिनियम' को लागू किया है।

******